आवास योजनाऐं

इंदिरा आवास योजना

उद्देश्य - इंदिरा आवास योजना बेघर और जीण-शीर्ण एवं कच्चे मकानों में रह रहे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारो को आवास निर्माण हेतु वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर उन्हें अपने मकान बनाने के कार्य मे मदद करने के लिए बनायी गई योजना है।

लक्ष्य समूह -

1- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त ग्रामीणजन।

2- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति परिवार।

3- वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थी परिवार ।

4- विधवा, तलाकशुदा, या परित्यक्ता महिलाओं सहित कठिन परिस्थितियों में जीवन-बसर कर रही महिलाऐं, अत्याचार की शिकार महिलाऐं अथवा ऐसी मूहिलाऐं जिनके पति कम से कम तीन वर्षो से लापता हैं और ऐसे परिवार जिन्हें महिलाऐं चला रही हैं।

5- मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता) ।

6- ट्रांसजेन्डर व्यक्ति।

7- सशस्त्र कार्यवाही मे मारे गये सेना/पैरामिलिट्री/पुलिस बल कर्मियों की विधवाएं और निकट संबंधी (चाहे बीपीएल न भी हो)।

8- कुष्ठ या कैंसर पीडित सदस्य वाले परिवार।

9- एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति ।

10- अन्य बेघर बीपीएल परिवार।

11- सिर पर मैला ढोने वाले व्यक्तियो के परिवार जिनमें पुनर्वासित व्यक्ति एवं पुनर्वासित बंधुआ मजदूर भी शामिल होगे।

चयन प्रक्रिया एवं अनुदान -

ग्राम पंचायतो मे निवासरत गरीवी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारो की स्थाई प्रतीक्षा सूची जो कि ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित हो। अनुदान की राशि शासन समय-समय पर परिवर्तित होती है। वर्तमान मे इंदिरा आवास निर्माण हेतु 70000/- रू. की राशि प्रदान की जाती है।

आवास संरचना - हितग्राही द्वारा कुटीर का निर्माण न्यूनतम 225 वर्गफीट में फीट में किया जाता है। जिसमें धुआ रहित चूल्हा एवं स्वच्छ शौचालय का निर्माण आवश्यक हैं।

तीन प्रतिशत आवास - योजनान्तर्गत विधवा/विकलांग/आपदाग्रस्त श्रेणी के हितग्राहियों के लिये योजना में पृथक से 3 प्रतिशत कुटीर जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा किया जाता है।

इंदिरा आवास (होम स्टैड) योजना

उद्देश्य :-

- इंदिरा आवास (होम स्टैट) योजना का मुखय उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूरों के सदस्य तथा गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण लोगों को जिनके पास आवास निर्माण हेतु स्थल उपलब्ध न हो उन्हें पट्टे उपलब्ध कराकर आवासीय इकाईयों के निर्माण में मदद करना।
- वित्तीय वर्ष के दौरान ग्राम पंचायत की आवासहीन प्रतीक्षा सूची में मेरिट के आधार पर हितग्राहियों (पट्टे उपलब्ध हों) का चयन ग्राम सभा में निर्धारित लक्ष्यानुसार।
- इंदिरा आवास होम स्टैड अंतर्गत 2010-11 में 3000 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था जिनका शतप्रतिद्गात इंदिरा आवास योजना के नियम एवं शतोर्ं के तहत् निर्माण किया जाकर हितग्राहियों को आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा चुका है।
- वर्ष 2012-13 में जिले को 1319 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
- योजनान्तर्गत भारत शासन से 75 प्रतिद्गात एवं राज्य शासन से 25 प्रतिद्गात राशि प्राप्त होती है। योजना के अंतर्गत प्रति कुटीर 45,000/- रू. के मान से राशि प्राप्त हो रही हैं।

इंदिरा आवास (वनवासी) योजना

उद्देश्य :-

- इंदिरा आवास (वनवासी) योजना का मुखय उद्देश्य वनाधिकार क्षेत्रों में आवासरत् अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार के सदस्य जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले ग्रामीण लोगों को जिनके पास आवास निर्माण हेतु स्थल उपलब्ध न हो उन्हें पट्टे उपलब्ध कराकर आवासीय इकाईयों के निर्माण में मदद करना।
- ग्राम पंचायत की आवासहीन प्रतीक्षा सूची में मेरिट के आधार पर हितग्राहियों (पट्टे उपलब्ध हों) का चयन ग्राम सभा में निर्धारित लक्ष्यानुसार किया जाता है।
- इंदिरा आवास वनवासी अंतर्गत 2012-13 में 1149 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ था जिनका इंदिरा आवास योजना के नियम एवं शर्तों के तहत निर्माण किया जाकर 693 आवास का निर्माण पूर्ण हो चुका हैं तथा 456 आवास निर्माणाधीन है।
- योजनान्तर्गत भारत शासन से 75 प्रतिद्गात एवं राज्य शासन से 25 प्रतिद्गात राशि प्राप्त होती है। योजना के अंतर्गत प्रति कुटीर 45,000/- रू. के मान से राशि प्राप्त होती हैं।

मुखयमंत्री अंत्योदय योजना

उद्देश्य :-

- मुखयमंत्री अंत्योदय आवास वर्ष 2007-08 में प्रारंभ हुई थी जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बीपीएल परिवारों को लाभान्वित किये जाने का उदेददृगय रखा गया है। योजना प्रारंभ से वर्ष 2013-14 तक 2168 परिवारों को आवासों का लाभ दिया जा चुका है। वर्तमान में योजनान्तर्गत जिल को 94 आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ हैं जिसकी स्वीकृति की जा चुकी है।
- मुखयमंत्री अंत्योदय आवास योजना राज्य शासन के द्वारा शतप्रतिश वित्त पोषित योजना है।

मुखयमंत्री ग्रामीण आवास मिशन

योजना का उद्देश्य :- ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध करवाना।

योजना का संक्षिप्त विवरण :- मुखयमंत्री ग्रामीण आवास मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत गरीब परिवारों को 70 हजार रूपये लागत से आवास निर्माण।

जिनमें शासन से 50 हजार रूपये का अनुदान, 50 हजार रूपये बैंक-ऋण और हितग्राही का अंशदान 20 हजार रूपये।

प्रथम किस्त 50: नींवखुदाई के उपरांत , प्लिंथ एवं दीवारों का कार्य पूर्ण करने के लिये द्वितीय किश्त 40: छत, दरवाजे, खिड़कियों का कार्य पूर्ण करने के लिये तृतीय किश्त 10: शेष आवश्यक कार्य पूर्ण करने के लिये।

न्यूनतम 225 वर्गफुट का पक्का आवास बनाया जायेगा।

पात्रता :- आवासहीन, कच्चे, अर्द्व पक्के आवासों में निवासरत ग्रामीण जिनके पास अधिकतम एक हैक्टेयर कृषि भूमि हो अथवा जिनकी सभी स्त्रोतों से अधिकतम आय 1.25 लाख वार्षिक हो।